X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी संचार कार्यनीति में विभिन्न प्रकार के नवोन्मेषण को अपनाया, आर्थिक और सांख्यिकीय नीति के विश्लेषण और अनुसंधान में पैनापन लाया, तथा सूचना प्रबंध को सुदृढ़ किया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ किया और उसमें विविधता लाई गई, जिसमें खास बात यह रही कि भारत सार्कफाइनैन्स का अध्यक्ष बना, जी-20 के रूपरेखा कार्यदल (एफडब्ल्यूजी) की सह-अध्यक्षता कर रहा है और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने की योजना बना रहा है। सरकार की तरफ से कारगर नकदी प्रबंधन सेवाएं देना और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का सुदृढ़ प्रबंधन करना सहवर्ती उद्देश्य हैं। अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ और कारगर वित्तीय प्रणाली के लिए आवश्यक मजबूत विधिक फ्रेमवर्क सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान अनेक विधायी पहलें/संशोधन किए गए।

X.1 इस अध्याय में संचार, अनुसंधान, सांख्यिकी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, बैंकिंग सेवाएं, विदेशी मुद्रा रिज़र्व प्रबंधन, और विधिक सेवाओं के क्षेत्र में 2019-20 की कार्य-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की चर्चा की गई है। इसमें इन कार्यात्मक क्षेत्रों में 2020-21 की कार्य-योजना को भी रेखांकित किया गया है। दूसरे भाग में संचार कार्यनीति और प्रक्रियाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक की प्रमुख पहलों को प्रस्तुत किया गया है। तीसरे भाग में रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों, जिनके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षीय निकाय शामिल हैं, पर चर्चा की गई है। चौथे भाग में सरकारों और बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों पर विचार-विमर्श किया गया है। पांचवें भाग में सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेशी मुद्रा रिज़र्व प्रबंधन के संचालन की समीक्षा की गई है। छठे भाग में अनुसंधानपरक कार्यकलापों, जिनके अंतर्गत सांविधिक रिपोर्टें और प्रमुख अनुसंधान-मूलक प्रकाशन शामिल हैं, पर प्रकाश डाला गया है। सातवें भाग में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। आठवें भाग में कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई के कार्यकलापों को शामिल किया गया है। नौवें भाग में विधि विभाग की गतिविधियां प्रस्तुत की गई हैं। यह अध्याय निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.2 संचार विभाग (डीओसी) रिज़र्व बैंक की नीतियों के प्रचार-प्रसार में पारदर्शी संचार, सुस्पष्ट निर्वचन और विधिपूर्वक अभिव्यक्ति के लक्ष्यों पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य जनता में भरोसा पैदा करना और प्रत्याशाओं को स्थिरता व दिशा देता है। इस प्रयोजन के लिए यह रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, मीडिया इंटरफेस, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय, अनौपचारिक कार्यशालाएं शामिल हैं, और सोशल मीडिया के साधनों का उपयोग करता है ताकि प्रभावी संचार और जन जागरूकता को साकार किया जा सके। इसके अंतर्गत संवेदनशील, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट (वीयूसीए) समयों में रिज़र्व बैंक की नीतिगत कार्रवाइयों और रुख के संबंध में सूचना के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बंद कमरे में बैठकें आयोजित करने संबंधी कार्यनीतियां भी शामिल हैं।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.3 पिछले वर्ष विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए :

- अपने जन जागरूकता अभियान के जरिए बहु-भाषी और बहु-सांस्कृतिक समाज के साथ अपना संबंध बढ़ाना [पैरा X.7 - X.10 तक]; और
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना [पैरा X.11] ।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.4 रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट की 'सर्च सुविधा' को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए मजबूत किया है तथा अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) के होम पेज पर शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल के लिए सीधा

ऐक्सेस उपलब्ध कराया है ताकि शिकायत निवारण प्रक्रिया को आसान और तेज किया जा सके। 'मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर' (जो मणि के नाम से लोकप्रिय है), जो भारतीय बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने का मोबाइल एप्लिकेशन है, की शुरुआत 01 जनवरी 2020 को की गई और उसका लिंक भी सुलभ नैविगेशन के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के होमपेज पर रखा गया है। रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों, नामत: वार्षिक रिपोर्टों, मासिक बुलेटिनों, समिति की रिपोर्टों, विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) के अध्ययन, सामयिक पेपर, मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट, स्टाफ के अध्ययन, भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, जिनमें 1930 की दशक की शुरुआत से लेकर पुराने प्रकाशन भी शामिल हैं, को डिजिटल रूप में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

मौद्रिक नीति का संचार

X.5 अक्टूबर 2016 में शुरू किए गए मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के अंतर्गत रिज़र्व बैंक एमपीसी की बैठक के तुरंत बाद अपनी वेबसाइट पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संकल्पों को जारी करता है। इसके बाद गवर्नर के पश्च-नीति प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसका प्रसारण यूट्यूब के जरिए किया जाता है और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, ट्वीटर हैंडल और बिजनेस टेलीविजन चैनलों पर की जाती है। 2019-20 के दौरान इसी प्रक्रिया को पूर्व-घोषित द्विमासिक समय-सारणी के साथ ही 27 मार्च और 22 मई 2020 को ऑफ-साइकल बैठकों, जो कि कोविड-19 की अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण आवश्यक हो गईं, के लिए जारी रखा गया। इन प्रेस सम्मेलनों के ऑडियो और ट्रैन्सक्रिप्टों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। एमपीसी की बैठकों के कार्यवृत्त आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत उपबंधित रीति से एमपीसी की प्रत्येक बैठक के बाद 14वें दिन को वेबसाइट पर अपलोड करा दिए गए। मीडिया, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए भी पश्च-नीति ब्रीफिंग सत्र भी आयोजित किए गए।

X.6 22 मार्च से 26 मई 2020 के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए राष्ट्र-व्यापी लॉकडाउन के चलते मौद्रिक नीति और अन्य विनियामकीय व विकासात्मक उपायों पर गवर्नर की घोषणाएं सभी मीडिया और जनसाधारण को प्रसारित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और ट्वीटर हैंडल के जरिए सीधे प्रसारित की जाती हैं।

जनजागरूकता अभियान

X.7 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने जोखिम बनाम प्रतिलाभ विषय पर 360 डिग्री मल्टी-मीडिया जन जागरूकता अभियान चलाए। दो वित्तीय साक्षरता सप्ताहों के दौरान किसानों और एमएसएमई पर फिल्में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित की गईं। जागरूकता संबंधी संदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए जन संचार के विभिन्न माध्यमों, जैसे, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, वेबसाइटों, होर्डिंग, सिनेमा और एसएमएस, का उपयोग किया गया। सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, सीमित देयता, बैंकिंग लोकपाल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधाओं पर फिल्में भी वर्ष के दौरान कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), प्रो कबड्डी लीग और सड़क सुरक्षा सीरिज़ जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में प्रसारित की गईं। वर्षभर अभियान के एक भाग के रूप में वित्तीय शिक्षा और अन्य उपयोगी क्षेत्रों पर फिल्में, जिनमें रिज़र्व बैंक में कार्यरत क्रिकेटरों और बैडमिंटन खिलाड़ियों को शामिल किया गया, दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित की गईं।

X.8 भारतीय नागरिकों को दिए गए एक विशेष वीडियो संदेश में गवर्नर ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की दृष्टि से सामाजिक दूरी के एक भाग के रूप में विभिन्न डिजिटल माध्यमों के प्रयोग का समर्थन किया। श्री अमिताभ बच्चन के अभिनय में प्रस्तुत 'डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें' पर एक विशेष अभियान कोविड-19 जन जागरूकता उपायों के एक भाग के रूप में अप्रैल 2020 में डिजिटल और सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया।

इसे बाद में प्रमुख टेलीविजन चैनलों और रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया गया।

X.9 फिल्मों और प्रिंट विज्ञापनों के अलावा संदेशों को एसएमएस और इंटरैक्टिव आवाज़ प्रतिक्रिया प्रणाली (आईवीआरएस) के माध्यम से भी जारी किया गया [बॉक्स X.1]।

सोशल मीडिया

X.10 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के ट्वीटर हैंडल @RBI के 8,92,000 फॉलोअर थे, जो कि विश्व के केंद्रीय बैंकों के मामले में देखें तो सर्वाधिक संख्या है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के यूट्यूब चैनल के 56,100 सब्स्क्राइबर थे। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने जनसाधारण को लाभ पहुंचाने के लिए जन जागरूकता संदेशों के व्यापक प्रचार-प्रसार और परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए @ RBIsays शीर्षक के अंतर्गत अपने दूसरे ट्वीटर हैंडल और फेसबुक पेज की शुरुआत की। जागरूकता अभियान की शुरुआत रिज़र्व बैंक के गवर्नर के संदेश से की गई, जिसमें भुगतान के विभिन्न डिजिटल माध्यमों के उपयोग को महत्व दिया गया : 'डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें'। इसके बाद अंग्रेजी, हिंदी

बॉक्स X.1
एसएमएस के जरिए जन जागरूकता अभियान

रिज़र्व बैंक द्वारा एसएमएस के माध्यम से चलाए जाने वाला जन जागरूकता अभियान 10 नवंबर 2017 को शुरू हुआ। इस अभियान का उद्देश्य बिना भौतिक उपस्थिति के जनता के बीच वित्तीय और बैंकिंग मामलों के प्रति जागरूकता पैदा करने के दायरे को बढ़ाना है। इस एसएमएस अभियान की मुख्य विशेषता है मिस्ड कॉल देने की सुविधा : रिज़र्व बैंक के शार्ट कोड नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल देने से कॉल करने वाले को कॉल बैक मिलता है, जिसमें एसएमएस के विषय पर अधिक जानकारी दी जाती है। वर्ष के दौरान इस अभियान के अंतर्गत भेजे गए एसएमएस के शीर्षकों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

जुलाई 2019 और जून 2020 के बीच भेजे गए एसएमएस

एसएमएस 1: जल्द और उच्च प्रतिलाभ वाली योजना? इसमें जोखिम हो सकता है! यदि कोई संस्था जमाराशि लौटाने में चूक करता है तो उसकी शिकायत www.sachet.rbi.org.in पर दर्ज करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर कॉल करें।

एसएमएस 2: दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा बैंकनोटों की पहचान करने में मदद के लिए bit.ly/RBI-MANI से डाउनलोड करें आरबीआई का मणि ऐप। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर कॉल करें।

एसएमएस 3: क्या आप आरबीआई के जन जागरूकता संदेशों पर फीडबैक देना चाहते हैं? यदि हां तो http://nmc.sg/b2FrYT पर क्लिक करें।

एसएमएस 4: क्या बैंक, एनबीएफसी, सिस्टम सहभागी के विरुद्ध शिकायत का समाधान नहीं किया गया? तो अपनी शिकायत रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रणाली @https://cms.rbi.org.in पर दर्ज करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर कॉल करें।

एसएमएस 5: मणि ऐप अभियान का संदेश फिर से भेजा गया।

एसएमएस 6: क्या आपके बैंक खाते में कपटपूर्ण लेनदेन हुआ है? अपनी हानि को सीमित रखें। अपने बैंक को तुरंत सूचना दें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें।

एसएमएस अभियान के माध्यम से किए गए आउटरीच का ब्योरा नीचे सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: एसएमएस अभियान - आउटरीच

(30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार, संख्या लाख में)

ब्योरा	एसएमएस 1	एसएमएस 2	एसएमएस 3	एसएमएस 4	एसएमएस 5	एसएमएस 6
1	2	3	4	5	6	7
भेजे गए कुल नए संदेश	6,157	6,263	127	6,443	4,573	5,370
सुपुर्द कुल नए संदेश	4,002	4,259	115	4,511	3,441	4,154
भेजे गए कुल एसएमएस अंश	11,782	12,665	127	12,728	7,305	9,641
सुपुर्द कुल एसएमएस अंश	7,296	8,377	115	8,771	5,449	7,407

स्रोत : आरबीआई।

ऐप को आसानी से डाउनलोड करने के लिए मणि ऐप पर एसएमएस में ऐप स्टोर/प्ले स्टोर का लिंक दिया गया है। शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) संबंधी एसएमएस में भी सीएमएस पोर्टल का लिंक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप दर्ज शिकायतों में काफी बढ़ोतरी हुई। जोखिम बनाम प्रतिलाभ संबंधी एसएमएस में जनसाधारण को धोखा देने के लिए संदिग्ध योजनाएं पेश करने वाली कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करने के लिए 'सचेत' पोर्टल का लिंक दिया गया है। फरवरी 2020 में एसएमएस अभियान पर फीडबैक का आकलन करने के लिए एक प्रभाव सर्वेक्षण कराया गया। उस एसएमएस में आरबीआई वेबसाइट के लिंक के साथ पांच प्रश्न दिए गए थे। उक्त सर्वेक्षण के परिणाम सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे।

स्रोत : आरबीआई।

और ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में संदेशों का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया हैंडलों पर ग्राफिक इंटरचेंज फार्मेट (जीआईएफ) और कार्टून के रूप में किया गया।

मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के लिए कार्यशालाएं

X.11 वर्ष के दौरान विभाग ने क्षेत्रीय मीडिया के लिए अपने जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बेंगलूरु, पटना और जयपुर में तीन कार्यशालाएं आयोजित कीं। राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी मुंबई में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

आरबीआई संग्रहालय

X.12 6, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता में स्थित आरबीआई संग्रहालय ने 11 मार्च 2020 को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। इस संग्रहालय में मुद्रा, स्वर्ण और रिज़र्व बैंक के उद्भव संबंधी कहानियों के कई रोचक खंड हैं, जिन्हें शिल्पकृतियों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के माध्यम से समझाया जाता है। संग्रहालय के मेजेनाइन फ्लोर पर इंटरैक्टिव गेमिंग ज़ोन है। 11 मार्च 2019 को इसके उद्घाटन के बाद से 19 मार्च 2020[1] तक की स्थिति के अनुसार इस संग्रहालय में 8,463 लोग पधारे थे। नियमित प्रदर्शनियों के अलावा, बैंक नोटों और स्मारक सिक्कों सहित मुद्रा के दुर्लभ संग्रह की एक विशेष प्रदर्शनी भी इस संग्रहालय में आयोजित की गई।

2020-21 की कार्य-योजना

X.13 2020-21 में विभाग उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग संबंधी मुद्दों पर मीडिया के लिए कार्यशालाएं/ सत्र चलाना;
- जन जागरूकता कार्यक्रमों और सोशल मीडिया में मौजूदगी के माध्यम से समाज के साथ संबंध को प्रगाढ़ बढ़ाना; और
- अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ कदमताल करते हुए सोशल मीडिया निगरानी व श्रवण के लिए 'सोशल मीडिया कमांड केंद्र' के निर्माण के लिए प्रयास किया जाएगा।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.14 2019-20 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से आर्थिक और वित्तीय संबंधों, खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ, संबंधों को मजबूत किया। केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को बढ़ाने के प्रति ध्यान केंद्रित करने को लेकर विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में मदद मिली। डेटाबेसों और सर्वेक्षणों के माध्यम से क्षमता वर्धन, तकनीकी सहयोग प्रदान करने और सूचना के प्रचार-प्रसार को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रगत पहलें की गईं।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.15 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी20 के अंतर्गत फाइनैन्स ट्रैक के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना। (उत्कर्ष) [पैरा X.16 - X.19 तक];
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना की कार्य-योजना पर ध्यान केंद्रित करना (उत्कर्ष) [पैरा X.20 - X.22 तक];
- आईएमएफ के साथ हुई अनुच्छेद IV 2019 विषयक चर्चा को सफलतापूर्वक पूरा करना (उत्कर्ष) [पैरा X.23];
- बीआईएस और सीजीएफएस बैठकों में विश्लेषणात्मक नीतिगत विवरण प्रस्तुत करना (पैरा X.24 - X.25 तक);
- एफएसबी से जुड़े मुद्दों के लिए जानकारी उपलब्ध कराना (पैरा X.26);
- ब्रिक्स सीआरए की समष्टि-आर्थिक अनुसंधान क्षमता को मजबूत बनाना (उत्कर्ष) [पैरा X.27];
- भारत सरकार और अन्य सार्क केंद्रीय बैंकों के साथ परामर्श करके सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप

[1] वैश्विक महामारी के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए जाने के कारण संग्रहालय 20 मार्च 2020 से दर्शकों के लिए खुला नहीं था।

व्यवस्था के फ्रेमवर्क में संशोधन करना (उत्कर्ष) [पैरा X.28];

- क्षमता वर्धन, तकनीकी सहयोग प्रदान करने और सहयोगात्मक अध्ययन के संदर्भ में सार्कफाइनैन्स रूपरेखा के अंतर्गत कार्य-योजना को आगे बढ़ाना (उत्कर्ष) [पैरा X.28]; और
- अन्य पहलें (पैरा X.29 से X.31 तक).

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

जी20 संबंधी सऊदी अरब की 2020 प्रेसिडेंसी

X.16 2019-20 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत 'रीअलाइसिंग ऑपर्चुनिटीज़ ऑफ द 21स्ट सेंचुरी फॉर ऑल' के विषय पर 2020 में सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) तथा वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्षों (एफसीबीडी) की बैठकें शामिल थीं। भारत ने जी20 फाइनैन्स ट्रैक वर्क कार्यक्रम का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य सभी को अवसरों का ऐक्सेस देते हुए सशक्त बनाना और डिजिटल वित्तीस समावेशन सहित नवोन्मेषण का लाभ उठाते हुए नए कार्यक्षेत्रों को साकार करना है। भारत ने उक्त वर्क कार्यक्रम का समर्थन किया, जिसके लिए रिज़र्व बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से हासिल अंतर-परिचालनात्मकता के आधार पर 24x7x365 खुदरा भुगतान प्रणाली जैसी वित्तीय समावेशन पहलों के रूप में योगदान किया। भारत ने वैश्विक सीमा-पार भुगतान व्यवस्थाओं, खास तौर पर धन-प्रेषणों के लिए रूपरेखा विकसित करने में जी20 पहलों के लिए भी सहयोग किया।

X.17 सरकार के समन्वय से विभाग ने जी20 के विभिन्न कार्यदलों की बैठकों में भाग लिया, जैसे रूपरेखा कार्यदल (एफडब्ल्यूजी), इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) कार्यदल।

X.18 वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर जी20 ने रेगटेक, सूपटेक और बिगटेक से जुड़े मुद्दों के अलावा 2021 के अंत में लाइबोर को योजनाबद्ध तरीके से बंद करने के साथ ही अंतर-बैंक प्रस्तावित दरों (आईबोर) के बेंचमार्क के अवस्था परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। भारत की राय यह थी कि हालांकि एकदिवसीय (अल्पावधि) जोखिम-मुक्त दरों (आरएफआर), [उदाहरण के लिए- यूएस में प्रतिभूत एकदिवसीय वित्तीयन दर (एसओएफआर), यूरो क्षेत्र में यूरोपीय अल्पावधि दर (ईएसटीईआर), और यूके में स्टर्लिंग एकदिवसीय सूचकांक औसत (एसओएनआईए)], को अपनाने की दिशा में लगातार प्रगति हुई है फिर भी जोखिमधारकों तक आउटरीच सहित लाइबोर से पलायन करते हुए अवस्था परिवर्तन को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए काफी कुछ करना शेष है।

X.19 विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित वर्चुअल एफएमसीबीजी बैठकों के लिए अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की। जी20 एफडब्ल्यूजी के सह-अध्यक्ष होने के नाते भारत ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कार्य-योजना तैयार करने में अगुआई की।

आईएमएफ और आईएफए से जुड़े मुद्दे

X.20 अक्टूबर 2019 में वार्षिक कोष-बैंक बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि कोटाओं की 15वीं सामान्य समीक्षा (जीआरक्यू) के अंतर्गत आईएमएफ कोटाओं में बदलाव के लिए सदस्यों के बीच अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूएस ने 15वीं जीआरक्यू के तहत कोटे को बढ़ाने के लिए योगदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। फरवरी 2020 में आईएमएफ के गवर्नर मंडल ने कोटाओं में बिना किसी बढ़ोतरी के 15वीं जीआरक्यू का औपचारिक रूप से समापन किया और यह निर्णय लिया कि 16वीं जीआरक्यू 15 दिसंबर 2020 के आगे भी जारी रहेगी तथा इसका समापन 15 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। इस विस्तारित अवधि के दौरान आईएमएफ कोटाओं की पर्याप्तता का पुनर्मूल्यांकन करेगा तथा गवर्नेंस सुधार की प्रक्रिया को जारी रखेगा, जिसके अंतर्गत गाइड के तौर पर नया कोटा

सूत्र शामिल है, और आईएमएफ संसाधनों में कोटाओं की प्राथमिक भूमिका सुनिश्चित करेगा। बोर्ड ने उधार की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) को 1 जनवरी 2021 से दुगुना करने के लिए एनएबी को लेकर सहभागियों का आह्वान किया।

X.21 यह महसूस किया गया कि आईएमएफ को उधार देने के अपने संसाधनों को कम से कम मौजूदा स्तर पर बनाए रखना चाहिए, भले ही 15वीं जीआरक्यू कोटाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई हो। तदनुसार, भारत ने 2016 द्विपक्षीय उधार संबंधी करारों (बीबीए), जो कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हैं, के अंतर्गत 2016 नोट खरीद करार (एनपीए) की अवधि को एक वर्ष तक, जो कि दिसंबर 2020 के अंत तक प्रभावी रहेगा, बढ़ाने के लिए अपना समर्थन बरकरार रखा।

X.22 27 मार्च को संपन्न वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की बैठक में रिज़र्व बैंक ने ऐसी गैर-स्टिग्मटाइज़्ड अल्पावधि चलनिधि स्वैप सुविधा का प्रस्ताव किया, जिसे सदस्य देशों की सहायता के लिए त्वरित रूप से लागू किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव ने जोर पकड़ा और इसके परिणामस्वरूप आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड ने एक नई 'स्वैप-नुमा' अल्पावधि चलनिधि व्यवस्था (एसएलएल) का अनुमोदन किया जिसका उपयोग मजबूत सिद्धांत, सुदृढ़ नीतियों और संस्थागत फ्रेमवर्क वाले देश कर सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार की अस्थिरता का सामना कर रहे हों। विभाग ने आईएमएफ से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों के प्रति भारत का रुख स्पष्ट करने में मदद की।

X.23 विभाग ने 2019 अनुच्छेद IV प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन को भी सुसाध्य बनाया, जो कि आईएमएफ से संबंधित करार की शर्तों के अनुच्छेद IV के अंतर्गत है। दिसंबर 2019 में आईएमएफ की स्टाफ रिपोर्ट जारी की गई।

बीआईएस गतिविधियां

X.24 वर्तमान में बीआईएस के बोर्ड पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शामिल होने के कारण रिज़र्व बैंक ने बीआईएस के कार्यकलापों के अनेक नए क्षितिजों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें गवर्नर द्वारा भाग ली गई बीआईएस की द्विमासिक बैठकों, जिनके अंतर्गत कोविड-19 के फैलाव के प्रतिक्रियास्वरूप बीआईएस द्वारा आयोजित ऐसी वर्चुअल बैठकें भी शामिल हैं, में विभाग ने सहायता व विश्लेषणात्मक इनपुट दिए।

X.25 विभाग ने बीआईएस समितियों, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस), की अनेक अन्य बैठकों के लिए उच्च प्रबंध-तंत्र को सहायता प्रदान की।

वैश्विक वित्तीय विनियमन से संबंधित एफएसबी की पहलें

X.26 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) वैश्विक वित्तीय प्रणाली की कमज़ोरियों का आकलन करता है और केंद्रीय बैंकों, अन्य राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों और अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारक निकायों के समन्वय से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जुड़े मुद्दों और वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों के बारे में एफएसबी में भारत का रुख तय करने में विभाग ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। विभाग ने रिज़र्व बैंक के भीतर अन्य इकाइयों और विनियामकीय निकायों के साथ समन्वय करके भी एफएसबी की वार्षिक गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) निगरानी प्रक्रिया और अन्य सर्वेक्षणों के लिए भारत की तरफ से इनपुट उपलब्ध कराए। विभाग ने एशिया से संबंधित एफएसबी के क्षेत्रीय परामर्शी समूह (आरसीजी) के लिए कान्फ्रन्स कॉल आयोजित की। विभाग ने कोविड-19 संकट का सामना करने के लिए एफएसबी द्वारा की गई प्रमुख पहलों से संबंधित रिपोर्टिंग और चर्चा सत्र में भी योगदान किया।

ब्रिक्स, सार्क और द्विपक्षीय सहयोग

X.27 समीक्षाधीन अवधि में ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) के परीक्षण के दूसरे दौर को सफलतापूर्वक पूरा किया। ब्रिक्स बॉण्ड फंड (बीबीएफ) के परिचालनात्मक पहलुओं की जांच की गई और रूपरेखा तैयार की गई। ब्रिक्स देशों के बीच भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग व वार्ता की प्रक्रिया ब्रिक्स रूस की अध्यक्षता के अंतर्गत शुरू की गई।

X.28 रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए सार्कफाइनैन्स (एसएफ) की अध्यक्षता ग्रहण की है। विभाग विभिन्न पहलों के जरिए सार्क केंद्रीय बैंकों के बीच

सहयोग को बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। इन पहलों के अंतर्गत एसएफ सिंक, जो अंतःसार्क केंद्रीय बैंकों की संचार व्यवस्था के लिए एक सीमित और सुरक्षित चैनल को सुसाध्य बनाने का पोर्टल है, विकसित करने का कार्य शामिल है। सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए उच्च अध्ययन संबंधी एसएफ छात्रवृत्ति योजना, जिसकी शुरुआत जून 2013 में की गई थी, को मई 2020 में संशोधित किया गया। संशोधित योजना के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र पाठ्यक्रमों के दायरे को बढ़ाया गया तथा छात्रवृत्ति की राशि और वर्ष में दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या को बढ़ाया गया है। 2014 में पहली एसएफ छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता ने 2019 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की पढ़ाई पूरी की। 2019 की एसएफ छात्रवृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंक और द अफगानिस्तान बैंक के क्रमश: दो अधिकारियों को भारत में डॉक्टोरेट और स्नातकोत्तर उपाधि की पढ़ाई के लिए दी गई। सहयोग की एसएफ रूपरेखा के अंतर्गत कुछ सदस्य केंद्रीय बैंकों को तकनीकी सहयोग और एक्सपोज़र प्रदान किया गया। एसएफ डेटाबेस के मानकीकरण और उन्नयन कार्य में प्रगति हुई। फिनटेक और वित्तीय समावेशन पर एसएफ सर्वेक्षण किया गया, जिससे सार्क देशों के बीच फिनटेक और वित्तीय समावेशन की स्थिति का जायज़ा लेना संभव हुआ। इस सर्वेक्षण के आधार पर रिज़र्व बैंक ने सभी सार्क केंद्रीय बैंकों को शामिल करते हुए फिनटेक और वित्तीय समावेशन पर एक सहयोगात्मक अध्ययन शुरू किया है, जिससे संबंधित एक संगोष्ठी फरवरी 2020 में उदयपुर में आयोजित की गई। 2019-22 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था का एक नया फ्रेमवर्क शुरू किया गया (बॉक्स X.2), जिसके तहत जनवरी 2020 में रॉयल भूटान मौद्रिक प्राधिकरण (आरएमएबी) के साथ स्वैप करार पर हस्ताक्षर किए गए और फरवरी में स्वैप सहायता दी गई। भारत ने अप्रैल 2020 में मालदीव को और जुलाई में श्रीलंका को भी स्वैप व्यवस्था मुहैया कराई ताकि कोविड-19 के बाद पर्यटन संबंधी प्राप्तियां बाधित होने और अन्य अड़चनों के कारण डॉलर की चलनिधि आवश्यकता की भरपाई करने में उन्हें मदद मिल सके।

अन्य गतिविधियां

X.29 रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ़ जापान (बीओजे) के बीच वार्ता और सहयोग को बढ़ाने की दृष्टि से 04 नवंबर 2019 को निबंधनाधीन वचनबंध (टीओई) पर हस्ताक्षर किए गए। इस टीओई के तहत आरबीआई-बीओजे की पहली वरिष्ठ स्तरीय वार्ता 04 नवंबर 2019 को मुंबई में संपन्न हुई। पारस्परिक रूप से महत्व रखने वाले मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें दूर करने के लिए

बॉक्स X.2

सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था का फ्रेमवर्क, 2019-22

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्वैप व्यवस्थाएं वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन) का अभिन्न अंग हो गई हैं। भारत ने, अन्य सार्क देशों के साथ परामर्श करके 2012 में सार्क देशों के लिए द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था तीन वर्षों के लिए शुरू की थी, जिसे अब तक दो बार बढ़ाया गया है। सार्क देशों के साथ की गई मौजूदा मुद्रा स्वैप व्यवस्था 14 नवंबर 2019 से 13 नवंबर 2022 तक तीन वर्ष के लिए वैध है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत रिज़र्व बैंक सार्क केंद्रीय बैंकों को स्वैप सुविधा के तहत 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चलनिधि सहायता देना जारी रखेगा। इस समग्र राशि में से प्रत्येक सार्क देश के लिए अधिकतम पात्र स्वैप राशि आबंटित की जाती है, जिसका निर्धारण उस देश के विभिन्न आर्थिक मानदंडों के आधार पर किया गया है। आहरण, अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपया (आईएनआर) में और समग्र पात्र सीमा के अंतर्गत बहु-ट्रान्शों में किया जा सकता है।

इस फ्रेमवर्क में 20 दिसंबर 2018 को एक 'स्टैंडबाई स्वैप व्यवस्था' (एसएसए) शामिल की गई, जिसके अंतर्गत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की अतिरिक्त स्वैप राशि प्रत्येक देशों को सुविधा की समग्र मात्रा के अंतर्गत उपलब्ध अप्रयुक्त शेष के हिसाब से विनिर्दिष्ट सीमाओं के अलावा दी जा सकेगी। प्रतीक्षा अवधि और दूसरे रोलओवर के परिप्रेक्ष्य में आईएनआर में स्वैप आहरण के लिए छूट दी जाती है। आरएमएबी और सेंट्रल बैंक ऑफ़ श्रीलंका (सीबीएसएल) ने क्रमशः 31 जनवरी और 24 जुलाई 2020 को नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के साथ द्विपक्षीय स्वैप करार किया।

स्रोत : आरबीआई।

संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति (जेटीसीसी) – जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) के बीच एक कार्यपालक निदेशक स्तरीय फोरम है – की तीसरी बैठक 5-6 सितंबर 2019 के दौरान मुंबई में आयोजित की गई।

X.30 विभाग ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ काफी निकटता से मिलकर कार्य करना जारी रखा तथा भारत की व्यापार नीति और प्रथाओं (टीपीआर) से संबंधित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 7वीं समीक्षा के लिए डब्ल्यूटीओ सचिवालय की भारत संबंधी रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा में भाग लिया। विभाग ने विनियमन, पर्यवेक्षण और भुगतान प्रणालियों से जुड़े मुद्दों पर विश्व बैंक के साथ भी बैठकें आयोजित कीं।

X.31 रिज़र्व बैंक ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) और दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) केंद्र के साथ सक्रिय रूप से कार्य करना जारी रखा। उसने जी24 और जी30 को भी सहायता प्रदान की। दक्षिण-पूर्व एशिया, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (एसईएएनज़ेडए) केंद्रीय बैंक फोरम में किए गए विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, जिसके लिए अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ, यह संकल्प किया गया कि इसे विशेष रूप से अन्य क्षेत्रीय फोरा/ क्षमता वर्धक संस्थाओं, जैसे- एसईएसीईएन, आईएमएफ प्रशिक्षण संस्थाओं और पूर्वी एशियाई-प्रशांत क्षेत्रीय केंद्रीय बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों की सभा (ईएमईएपी) के आविर्भाव को ध्यान में रखते हुए बंद किया जाए। साथ ही, 1950 के उत्तरार्द्ध से केंद्रीय बैंक सहयोग और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में उसके अपरिमेय योगदान के लिए आभार प्रकट किया गया।

2020-21 की कार्य-योजना

X.32 2020-21 में विभाग निम्नलिखित मदों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) से जुड़े मुद्दों, जिनके अंतर्गत 16वीं जीआरक्यू, उधार संबंधी द्विपक्षीय करार (बीबीए) और आईएमएफ की उधार संबंधी नई व्यवस्थाएं (एनएबी) शामिल हैं, पर अनुवर्ती कार्रवाई (उत्कर्ष);
- मौजूदा सार्कफाइनैन्स के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकलापों को पूरा करना, जिसके अंतर्गत स्वैप सहयोग, क्षमता वर्धन, संयुक्त अनुसंधान शामिल है (उत्कर्ष);
- भारत द्वारा 2021 में ब्रिक्स अध्यक्षता ग्रहण किए जाने के मद्देनज़र बीबीएफ, सीआरए और अन्य पहलों के जरिए ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाना (उत्कर्ष);
- आईएमएफ के साथ अनुच्छेद-IV के विषय पर परामर्श करना;
- 2022 में प्रेसिडेंसी को संभालने की दृष्टि से तैयारी के तौर पर जी20 के साथ सहकार्य को बढ़ाना;
- जी20 के विभिन्न कार्यदलों को इनपुट देना जारी रखना;
- बीआईएस बोर्ड के कार्यकलापों और गवर्नर की द्विमासिक बैठकों के लिए गवर्नर को इनपुट मुहैया कराना;
- वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति जैसी अन्य बैठकों और एफएसबी से जुड़े मुद्दों, जिनके अंतर्गत वैश्विक प्रवृत्तियों और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता से पैदा होने वाले जोखिमों के आकलन से संबंधित एफएसबी की वार्षिक निगरानी प्रक्रिया 2020 शामिल है, के लिए इनपुट प्रदान करना; तथा
- प्रौद्योगिकी-समर्थ पर्यवेक्षी व विनियामकीय समाधानों के लिए सीमा-पार भुगतानों, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक और बिगटेक को बढ़ाने के लिए इनपुट मुहैया कराना।

4. सरकारी और बैंक लेखे

X.33 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिज़र्व बैंक की आंतरिक लेखांकन नीतियों के निर्धारण के अलावा बैंकों के

बैंक और सरकारों के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यों की देखरेख करता है।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.34 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- केंद्र सरकार की प्रणालियों के अलावा राज्य सरकारों/ संघ-शासित क्षेत्रों की प्रणालियों के साथ ई-कुबेर को एकीकृत करना ताकि उनकी ई-प्राप्तियों की प्रत्यक्ष वसूली और ई-भुगतान किया जा सके (उत्कर्ष) [पैरा X.35];
- ई-प्राप्तियों की रिपोर्टिंग के लिए सभी एजेंसी बैंकों के साथ ई-कुबेर का एकीकरण (उत्कर्ष) [पैरा X.36];
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार की मौजूदा ऑनलाइन त्रुटि ज्ञापन प्रक्रिया का दायरा बढ़ाते हुए उसके अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को शामिल करना (उत्कर्ष) [पैरा X.37];
- एजेंसी बैंकों द्वारा किए जाने वाले सरकारी लेनदेनों की निरीक्षण प्रक्रिया को चुस्तदुरुस्त करना (उत्कर्ष) [पैरा X.38];
- सरकार की शेषराशियों की दैनिक स्थिति की गणना का स्वचालन (उत्कर्ष) [पैरा X.39];
- पी2एफ व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बंद करना (पैरा X.40); और
- अन्य पहलें (पैरा X.41 - X.43 तक).

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.35 वर्ष के दौरान तीन राज्य सरकारें ई-भुगतान के लिए रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान पोर्टल – ई-कुबेर – में नए सिरे से जुड़ीं और तीन राज्य सरकारें ई-भुगतान पोर्टल के उन्नत वर्शन में अंतरित हुईं। ई-प्राप्तियों और ई-भुगतानों के एकीकरण के लिए शेष राज्य सरकारों से संपर्क किया गया, जिसके बाद कतिपय राज्य सरकारों ने इस हेतु अपनी इच्छा जाहिर की और वे इस एकीकरण के लिए तकनीकी दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट) प्रणाली को ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया और इसे 01 जुलाई 2019 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/ तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रत्यक्ष करों [वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर] की वसूली के लिए लागू किया गया।

सरकारी प्राप्तियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए ई-कुबेर के साथ एजेंसी बैंकों का एकीकरण

X.36 सभी एजेंसी बैंकों को उनके द्वारा वसूली गई जीएसटी प्राप्तियों के संबंध में रिज़र्व बैंक को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया। राज्य सरकार के लेनदेनों का कार्य करने वाले बैंकों को भी ई-कुबेर के साथ जोड़ा गया ताकि वे रिज़र्व बैंक को प्राप्तियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकें।

सभी राज्य सरकारों को जीएसटी फ्रेमवर्क में त्रुटि ज्ञापन (एमओई) प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल करना

X.37 वर्ष के दौरान जीएसटी लेनदेनों के समाधान के लिए तीन राज्य सरकारों को ऑनलाइन एमओई प्रक्रिया में शामिल किया गया, वहीं, तीन राज्य सरकारों ने इसका परीक्षण पूरा कर लिया है और वह शीघ्र ही लाइव होने जा रहा है। तथापि, कोविड-19 वैश्विक महामारी ने रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच की परीक्षण प्रक्रिया की गति धीमी कर दी है। रिज़र्व बैंक शेष राज्य सरकारों को इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

एजेंसी बैंकों की निगरानी

X.38 निरीक्षणों के दौरान विचारार्थ मुद्दों की विस्तृत जांच-सूची तैयार की गई और एजेंसी बैंकों की निगरानी प्रक्रिया को दुरुस्त बनाने के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए।

दैनिक स्थिति संबंधी प्रक्रिया का स्वचालन

X.39 16 दिसंबर 2019 से एनईएफटी परिचालनों के 24 x 7 आधार पर चालू हो जाने और यह सेवा सरकारी लेनदेनों के लिए भी उपलब्ध हो जाने के बाद सरकार की शेषराशि की दैनिक स्थिति की गणना के लिए परिचालनात्मक प्रक्रिया में कतिपय बदलाव लाना ज़रूरी हो गया। तदनुसार, इस लक्ष्य की रूपरेखा की समीक्षा की जा रही है और आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।

राज्य सरकारों के लिए पेपर-टु-फॉलो (पी2एफ) व्यवस्था को बंद करना

X.40 13 राज्यों में सरकारी चेकों के समाशोधन संबंधी पी2एफ व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर बंद कर दी गई।

अन्य पहलें

X.41 01 जुलाई 2019 को पात्र सरकारी लेनदेनों की एजेंसी कमीशन दरों में संशोधन किया गया। एजेंसी बैंकों को अदा किए गए एजेंसी कमीशन पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति संबंधी केंद्रीकृत प्रणाली को बंद किया गया और, 01 जुलाई 2019 से एजेंसी कमीशन के दावों सहित लागू दरों पर जीएसटी का भुगतान रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जाता है। एजेंसी कमीशनों का भुगतान करते समय लागू कानूनों के अनुसार जीएसटी के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए फ्रेमवर्क शुरू किया गया।

X.42 सरकारी लेनदेनों की समय पर रिपोर्टिंग के लिए एजेंसी बैंकों की जिम्मेदारी को मजबूत करने और साथ ही, एजेंसी कमीशन संबंधी उनके दावों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी बैंकों के लिए यह ज़रूरी किया गया कि वे बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कराएं और एजेंसी कमीशन के दावों की सत्यता और इस आशय, कि 1 अगस्त 2019 से एजेंसी कमीशन के दावे प्रस्तुत करते समय कोई सरकारी प्राप्तियां धनप्रेषण के लिए लंबित नहीं हैं, का प्रमाणपत्र एक सनदी लेखाकार द्वारा दिलाएं। उसके बाद 25 सितंबर 2019 से एजेंसी बैंकों को लागत लेखाकारों से ऐसा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में समर्थ बनाया गया।

X.43 रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2020 से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) प्रणाली में भाग लेना शुरू किया। एक राज्य सरकार के जमा लेनदेनों को एनएसीएच प्रणाली में अंतरित किया गया।

2020-21 की कार्य-योजना

X.44 2020-21 के लिए विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य-योजना प्रस्तावित की है:

- केंद्र सरकार की प्रणालियों को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना ताकि उनकी ई-प्राप्तियों की सीधी वसूली और ई-भुगतान हो सके (बॉक्स X.3);
- शेष राज्य सरकारों की प्रणालियों को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को छोड़कर);
- गैर-जीएसटी लेनदेनों के लिए एक प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करना;
- सरकारी लेनदेनों के लिए एक डैशबोर्ड तैयार करना; और
- जीएसटी लेनदेनों के समाधान की दृष्टि से ऑनलाइन एमओई समाधान प्रक्रिया के लिए शेष राज्य सरकारों को जोड़ना।

5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन

X.45 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) अपने कार्यनीतिक उद्देश्यों के रूप में - सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभों के क्रम में - देश के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) के प्रबंधन का कार्य करता है। वर्ष के दौरान जून 2020 में एफईआर में 17.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 5.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले वर्ष की विविधीकरण कार्यनीति के समान ही वर्ष

बॉक्स X.3

ई-कुबेर और कर सूचना प्रणाली (टीआईएन) 2.0: प्रत्यक्ष करों का एकीकरण

ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) के माध्यम से की जाने वाली मौजूदा प्रत्यक्ष कर संग्रहण प्रक्रिया को कर सूचना प्रणाली (टीआईएन) 2.0 में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसकी नींव आयकर विभाग और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआर. सीसीए), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा रखी जाती है। सरकारी लेनदेनों का लेखांकन अब 'प्रकल्प' (प्रत्यक्ष कर लेखांकन प्रणाली) के माध्यम से किया जाएगा, जो कि महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय के अंतर्गत सरकारी वित्तीय प्रबंध प्रणाली (पीएफएमएस) का एक एप्लिकेशन है। सीबीडीटी और सीजीए के अलावा प्राधिकृत बैंक और रिज़र्व बैंक भी इस टीआईएन 2.0 परिवेश-प्रणाली का अंग है। रिज़र्व बैंक ई-कुबेर के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के लेखांकन व निपटान के लिए एक संग्रहकर्ता बैंक के साथ ही समुच्चयक के रूप में कार्य करेगा, जिसे एजेंसी बैंकों, टीआईएन और प्रकल्प की प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

टीआईएन 2.0, जो कि मोटे तौर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना पर आधारित है, के अंतर्गत करदाताओं को एक केंद्रीकृत प्रणाली से ऑनलाइन चालान जनरेट करना होता है, अत: भौतिक चालानों को तैयार करने और संचालित करने की प्रथा बंद हो गई है। यह करदाताओं को विभिन्न भुगतान विकल्पों का उपयोग करने में समर्थ बनाता है, जैसे प्राधिकृत बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग, रिज़र्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों सहित प्राधिकृत बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) भुगतान, किसी बैंक के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए रिज़र्व बैंक को सीधे भुगतान और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई/भीम जैसी अनुमोदित लिखतों के माध्यम से भुगतान।

टीआईएन 2.0 की शुरुआत से चालान जनरेट करने की सूचना और करों की पावती की पुष्टि सभी संबंधित हितधारकों को तत्काल भेजी जाएंगी। जीएसटी की तरह ही एजेंसी बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए सभी करों के भुगतान की राशि रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्र की जाएगी ताकि एजेंसी बैंकों से प्राप्त निधियां रिज़र्व बैंक द्वारा संगृहीत ओटीसी/ एनईएफटी के साथ ही संबंधित सरकारी खातों में निर्धारित समय-सीमाओं के अनुसार जमा की जाएंगी। रिज़र्व बैंक सरकारी तंत्रों को आवश्यक लेखांकन व निपटान संबंधी रिपोर्टें भी भेजेगा।

स्रोत : आरबीआई।

के दौरान सोने की खरीद की गई और उसे एफईआर में जोड़ा गया।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.46 विभाग ने पिछले वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- रेपो और फोरेक्स स्वैप क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करना (उत्कर्ष) [पैरा X.47];
- जोखित प्रबंधन प्रथाओं की समीक्षा करना [पैरा X.47]; और
- साइबर जोखिमों की दृष्टि से आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना (पैरा X.47)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.47 वर्ष के दौरान रेपो और फोरेक्स स्वैप जैसी लिखतों में परिचालन को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा जोखिम प्रबंध प्रथाओं की व्यापक समीक्षा की गई। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिहाज से आंतरिक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाया गया। स्विफ्ट की सिफारिशों के मुताबिक विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) को स्विफ्ट अलाइअंस ऐक्सेस के नवीनतम वर्शन पर अपग्रेड किया गया। स्विफ्ट के अंतर्गत अतिरिक्त भुगतान नियंत्रण सेवाओं को अपनाते हुए सुरक्षा कवर को उन्नत बनाया गया।

2020-21 की कार्य-योजना

X.48 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- उन्नत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (उत्कर्ष);
- विशिष्ट अनुसंधान इनपुट (उत्कर्ष); और
- निवेशों की सुरक्षा में समझौता किए बगैर, लाभकारी अभिनियोजन के माध्यम से आरक्षित निधियों का प्रभावी विविधीकरण।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.49 अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही रिज़र्व बैंक का ज्ञान केंद्र होने के नाते आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) नीति-निर्माण के लिए अनुसंधानपरक जानकारी और प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। यह विभाग प्राथमिक राष्ट्र-स्तरीय आंकड़े भी जुटाता है, रिज़र्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टें तैयार करता है, प्रमुख अनुसंधानमूलक प्रकाशन निकालता है, बाहरी विशेषज्ञों के साथ सहयोगात्मक नीति-उन्मुख अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देता है तथा विभिन्न परिचालनात्मक विभागों और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर गठित किए जाने वाले तकनीकी समूहों/ समितियों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

X.50 अपने सभी स्टाफ सदस्यों को यथासंभव सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'वर्क फ्रम होम' संबंधी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुसरण करते हुए विभाग ने इस अवधि में कतिपय लॉजिस्टिक अवरोध होने के बावजूद नीतिगत उपायों के लिए अपेक्षित सभी सूचना व विश्लेषणात्मक जानकारी समय पर उपलब्ध कराने का प्रबंध किया। अनुसंधान और विश्लेषण संबंधी कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहे, और अनुसंधान से संबंधित सभी प्रकाशन समय पर जारी किए गए। केंद्रीय पुस्तकालय ने अनुसंधान कार्य के लिए विभिन्न डेटाबेसों और अन्य संदर्भ संसाधनों के लिए निर्बाध रिमोट ऐक्सेस को सुसाध्य बनाया। विभाग ने ऑनलाइन प्लैटफॉर्मों पर जानकारी साझा करने से संबंधित कई सत्र भी आयोजित किए।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.51 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- विभिन्न सांविधिक व प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन (पैरा X.52);
- प्राथमिक और गौण आंकड़ों का संकलन व प्रचार-प्रसार (पैरा X.53);
- केंद्रीय बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहरा विश्लेषण और अनुसंधान (उत्कर्ष) [पैरा X.54];
- मुद्रास्फीति और संवृद्धि दर के पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए बिग डेटा एप्लिकेशनों का प्रयोग (उत्कर्ष) [पैरा X.54];
- केंद्रीय पुस्तकालय की डिजिटीकृत सामग्रियों के ऐक्सेस के स्तर को बढ़ाना (पैरा X.55); और
- विभिन्न कार्यक्रमों और विशेषज्ञों के व्याख्यानों का आयोजन (पैरा X.56 से X.57)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.52 वर्ष के दौरान विभाग ने कई प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन निर्धारित समय पर किया, यथा- वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, और राज्य वित्त : 2019-20 से संबंधित बजट अध्ययन। वर्ष के दौरान मासिक प्रकाशन – भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन – के दायरे को बढ़ाते हुए उसके अंतर्गत सामयिक विषयों पर त्वरित अनुसंधानपरक आलेख शामिल किए गए।

X.53 वर्ष के दौरान विभाग कुल मौद्रिक राशियों, भुगतान संतुलन, बाहरी कर्ज, प्रभावी विनिमय दरों, संयुक्त सरकारी वित्त, घरेलू वित्तीय बचत और नियत समय-सीमा पर निधियों के प्रवाह तथा गुणवत्ता मानकों के संबंध में प्राथमिक सांख्यिकी के संकलन व प्रचार-प्रसार के कार्यों में व्यस्त रहा। इस वर्ष की राज्य वित्त संबंधी रिपोर्ट में उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए एक 'ई-स्टेट डेटाबेस' को भी स्थान दिया गया है, जिसमें 1990-91 से 2019-20 तक की अवधि से संबंधित ऐतिहासिक आंकड़े शामिल है। जी-20 डेटा अंतराल संबंधी पहल के अनुरूप और विभिन्न हितधारकों की बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने समेकित राज्य (23 राज्यों) वित्त से संबंधित तिमाही आंकड़े और वर्ष के दौरान केंद्र व राज्यों के संयुक्त वित्त से संबंधित तिमाही आंकड़े जारी किए। इसी प्रकार, 2011-12 से 2017-18 तक की अवधि के लिए वित्तीय स्टॉक और भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़ों, जो क्षेत्रगत लेखों का समेकन है,

में सबसे पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्षेत्रवार बकाया स्थितियों को शामिल किया गया।

X.54 2019-20 के दौरान विभाग ने दो नए प्रभागों, नामत: भुगतान प्रणाली प्रभाग (पीएसडी) और नवीन कार्यक्षेत्र इकाई (एनएफयू), का सृजन करके अनुसंधान कार्यकलापों के दायरे को बढ़ाया और गहन किया। विभाग ने वर्ष के दौरान 54 शोध पत्र/आलेख प्रकाशित किए जिनमें से 17 का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय व घरेलू जर्नलों में हुआ तथा वेबसाइट पर 10 वर्किंग पेपर जारी किए गए। प्रकाशित अध्ययनों में समष्टि-आर्थिक पूर्वानुमान; बिग डेटा विश्लेषिकी; मुद्रास्फीति गतिकी; बैंकिंग क्षेत्र; वित्तीय चक्र; निवेश व्यवहार; भुगतान प्रणाली और राजकोषीय मसले जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल किए गए हैं। साथ ही, डीईपीआर अध्ययन मंडल, जो कि एक आंतरिक चर्चा मंच है, ने वर्ष के दौरान विभिन्न अनुसंधानपरक विषयों पर 46 संगोष्ठियां/ प्रस्तुतियां आयोजित कीं, जिनमें से 11 कार्यक्रमों को लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन आयोजित किया गया। विभाग ने आरबीआई सामयिक पत्रों (खंड 40 संख्या 1 और 2), जो रिज़र्व बैंक का समकक्ष-समीक्षित अनुसंधान जर्नल है, के दो अंकों का भी प्रकाशन किया।

X.55 केंद्रीय पुस्तकालय और भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार (आरबीआईए) डीईपीआर की दो प्रमुख इकाइयां हैं, जो अनुसंधान और रिपोर्टों के प्रकाशन, जिसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक का इतिहास शामिल है, के लिए विभिन्न विषयों पर संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों/ ई-पुस्तकों का व्यापक संग्रह है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, अर्थशास्त्र और वित्त से संबंधित कतिपय दुर्लभ पुस्तकें, जर्नल/ई-जर्नल, और ऑनलाइन डेटाबेस शामिल हैं। वर्ष के दौरान किए प्रयासों के अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और आंकड़ों जैसे ऑनलाइन संसाधनों के उपयोगकर्ताओं के लिए एकीकृत इंटरफेस उपलब्ध कराने के प्रति ध्यान केंद्रित किया गया। आरबीआईए रिज़र्व बैंक में पुरालेख और अभिलेख प्रबंध नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह रिज़र्व बैंक के स्टाफ सदस्यों के साथ ही देश-विदेश के विभिन्न भू-भागों के विद्वानों को अनुसंधान सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। अभिलेखागार ने 2019-20 के दौरान 5 लाख से अधिक पृष्ठों का डिजिटल रूप तैयार किया, जिससे डिजिटल रूप में उपलब्ध कुल पृष्ठों की संख्या 13 लाख हो गई है।

X.56 विभाग ने वर्ष के दौरान दो स्मारक व्याख्यानों सहित अनेक कार्यक्रमों/ विशेषज्ञ भाषणों का आयोजन किया। 17वां एल.के. झा स्मारक व्याख्यान 22 नवंबर 2019 को 'राजकोषीय संघवाद : विचारधारा और व्यवहार' विषय पर श्री एन.के. सिंह, अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग द्वारा दिया गया। तीसरा सुरेश तेंदुलकर स्मारक व्याख्यान 7 जनवरी 2020 को श्री थर्मन षण्मुगरत्नम, वरिष्ठ मंत्री, सिंगापुर गणराज्य द्वारा 'व्यापक समृद्धि: बुनियादी मुद्दों को सुलझाना' विषय पर दिया गया।

X.57 वर्ष के दौरान विभाग द्वारा आयोजित विशेषज्ञों के भाषण के सिलसिले में 11 जुलाई 2019 को 'नए भारत के सुधार का एजेंडा' पर प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया, कोलंबिया विश्वविद्यालय और 22 जनवरी 2020 को 'भारत की आर्थिक वृद्धि का पुन: गतिवर्धन' पर श्री अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ द्वारा दिए गए भाषण शामिल हैं। 26 नवंबर 2019 को रिज़र्व बैंक के अनुसंधानकर्ताओं ने नोबेल विजेता प्रोफेसर रॉबर्ट इंगल के साथ सार्थक रूप से चर्चा की।

2020-21 की कार्य-योजना

X.58 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग की कार्य-योजना में निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

- विश्लेषण और अनुसंधान – मुद्रास्फीति और संवृद्धि के पूर्वानुमानों में सुधार के वैकल्पिक मॉडलों का अन्वेषण करना, तथा नगरपालिका वित्तों का अध्ययन (उत्कर्ष);
- सेवा क्षेत्र में दुतरफा व्यापार के आंकड़ों को जारी करना (उत्कर्ष);
- भारत में ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाज़ार पर गैर-डिलिवरबल फॉरवर्ड (एनडीएफ) बाज़ार के स्पिलओवर प्रभाव; ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति गतिकी; राज्यों के विवेकपूर्ण व्ययन के निर्धारक-तत्व; तथा वीआईएक्स

और स्टाक सूचकांकों के बीच के संबंध जैसे समसामयिक महत्व के क्षेत्रों पर अध्ययन;

- 'मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की समीक्षा' विषय पर मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट नामक प्रकाशन को फिर से चालू करना;
- 1997 से 2008 तक की अवधि से संबंधित रिज़र्व बैंक के इतिहास के खंड-5 का विमोचन;
- केंद्रीय पुस्तकालय के डिजिटल रूप में जनसाधारण के लिए उपलब्ध सामग्री का ऐक्सेस आसान बनाना; और
- अभिलेखागारों में उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्डों का प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए प्रलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास करना।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंध

X.59 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) जनता को समष्टि-वित्तीय सांख्यिकी के संकलन, विश्लेषण और प्रसार सहित उच्च गुणवत्ता की सांख्यिकीय सेवा मुहैया कराता है तथा रिज़र्व बैंक की नीतिगत तथा परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांख्यिकीय सहायता और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करता है। डीएसआईएम बैंकिंग, कॉर्पोरेट और बाह्य क्षेत्रों से संबंधित बहु-आयामी सांख्यिकीय प्रणालियां बनाए रखता है, मौद्रिक नीति निर्माण हेतु इनपुट के रूप में उद्यम और परिवारों से संबंधित संरचनात्मक सर्वेक्षण कराता है, एक्सबीआरएल प्रणाली के माध्यम से विवरणियों की केंद्रीकृत प्रस्तुति और रिज़र्व बैंक के वेयरहाउस के माध्यम से प्रसार की व्यवस्था करता है तथा सांख्यिकीय विश्लेषण और पूर्वानुमान उपलब्ध कराता है।

X.60 कोविड-19 महामारी ने आंकड़ों के संग्रह की प्रक्रिया के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर दीं, जिस पर मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोतों से आने वाले विस्तृत आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण प्रभाव पड़ा। लॉकडाउन के शुरूआती चरणों के दौरान जब यात्रा से संबंधित प्रतिबंध थे, परिवारों/उद्यमों के सर्वेक्षण करने के लिए कम्प्यूटर समर्थित व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) की बजाय टेलीफोन पद्धति का उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप सामान्य की तुलना में बहुत कम प्रतिक्रिया मिली। विनियमित संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के मामले में, रिज़र्व बैंक ने आंकड़ों की प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ा दी, इस प्रकार आंकड़ों की उपलब्धता की समयसीमा के साथ कुछ हद तक समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त, महामारी ने केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस), जो रिज़र्व बैंक की अगली पीढ़ी का डेटा वेयरहाउस है, से संबंधित कार्य को भी धीमा कर दिया। इन कठिनाइयों के बावजूद, पहले से प्रस्तुत आंकड़ों की प्रोसेसिंग पूरे जोश से की गई और मुख्य सांख्यिकी का प्रसार तथा आंकड़ों को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भेजने का कार्य निर्धारित समयानुसार किया गया।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.61 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- ग्रेन्यूलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएएल) तथा विनियामकीय सैंडबॉक्स परिवेश (उत्कर्ष) के साथ सीआईएमएस के पूर्ण परिचालन का कार्यान्वयन (पैरा X.62);
- सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) के सृजन के लिए प्रणाली का विकास (उत्कर्ष) [पैरा X.63];
- बड़े आंकड़ों के वैश्लेषिकी एनैलिटिक्स का उपयोग करके अनुसंधान और विश्लेषण को बढ़ाना (उत्कर्ष) [पैरा X.64];
- बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) के कवरेज़ को बढ़ाना (पैरा X.65);
- आईईएसएच के कवरेज़ को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बढ़ाने की गुंजाइश की जांच करना (पैरा X.66);

- प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) का विकास (पैरा X.67); और
- नियमित प्रकाशन जारी करना (पैरा X.68)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.62 केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के कार्यान्वयन को इसके परिचालन हेतु तकनीकी परामर्शदाता समूह (टीएजी) (अध्यक्षः प्रोफेसर जी. शिवकुमार) के मार्गदर्शन में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया तथा हितधारक विभागों के कार्यात्मक विनिर्देश दस्तावेज (एफएसडी) सहित नियंत्रण विनिर्देश दस्तावेज (सीएसडी) तैयार किए गए। इसके अलावा, हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टैटिस्टिकल डाटा एण्ड मेटाडाटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) के कार्यान्वयन हेतु डेटा स्ट्रक्चर डेफिनिशंस (डीएसडी) और निष्पादन परीक्षण (पीटी), प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) और डेटा अंतरण लेखापरीक्षा (डीएमए) का कार्य पूरा किया गया । सैंडबॉक्स परिवेश का सृजन करते हुए जिसमें प्रायोगिक तौर पर 10 बैंकों की 16 विवरणियाँ लेते हुए उसका परिचालन प्रारंभ किया गया । तथापि, अन्य बैंकों से भी यथालागू विवरणियां भी इसके दायरे में लायी जा रही हैं।

X.63 यद्यपि भारत बिल सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) के ड्राफ्ट को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, इस बीच पीसीआर का कार्यान्वयन वर्ष के दौरान शुरू कर दिया गया।

X.64 विभाग ने समष्टि-आर्थिक गतिविधियों के आकलन के लिए उन्नत पूर्वानुमान और तात्कालिक पूर्वानुमान तकनीकों का उपयोग करते हुए अनुसंधान और विश्लेषण किया। विभाग ने आर्थिक संकेतकों पर मीडिया की भावनाओं का आकलन करने के लिए बिग डेटा वैश्लेषिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का भी उपयोग किया । इस संबंध में, बिग डेटा दृष्टिकोण का उपयोग करके ऑनलाइन खुदरा मूल्यों पर आधारित खाद्य स्फीति के आकलन का कार्य संपन्न किया गया।

X.65 सीआईएसबीआई जो बैंकिंग नेटवर्क और वित्तीय समावेशन नीतियों का समर्थन करता है, का इस वर्ष के दौरान विस्तार किया गया जिसमें सहकारी बैंकों, एटीएम मशीनों और नियत स्थानों पर कार्य करने वाले कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) को शामिल किया गया । नए वैश्विक निर्धारणों/मानकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ऋण प्रबंधन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के डेटाबेस को राष्ट्रमंडल सचिवालय के मेरिडियन एप्लिकेशन में शिफ्ट कर दिया गया।

X.66 हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) का प्रायोगिक चरण सम्पन्न किया गया ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आईईएसएच के विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा सकें।

X.67 डिजिटल स्वरूप में हस्ताक्षरित विवरणी फाइलिंग कार्यप्रवाह की विशेषता वाला नया एक्सबीआरएल वेब-लॉजिक परिवेश का परिचालन प्रारंभ किया गया । इससे सांविधिक विवरणियों की कागजी प्रस्तुति से चरणबद्ध तरीके से छुटकारा मिल सकेगा। इस परिवेश का विस्तार करके इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित विवरणियों को भी शामिल किया गया । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) पोर्टल में ई-मेल आधारित लॉग-इन जैसी नई विशेषताएं भी जोड़ी गयीं जिसमें प्रारंभिक-राशि आधारित प्रोसेसिंग को समाप्त कर दिया गया और बैंक प्रशासन द्वारा बेहतर प्रयोक्ता प्रबंध की सुविधा प्रदान की गई। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए सीएफआर पोर्टल विकसित करने का कार्य उन्नत स्तर पर है।

X.68 वर्ष के दौरान, विभाग ने अपने नियमित प्रकाशनों जैसे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक, 2018-19, भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां, 2018-19; (बीएसआर1, बीएसआर2 और बीएसआर7), साप्ताहिक सांख्यिकीय संपूरक (डब्ल्यूएसएस) और रिज़र्व बैंक बुलेटिन के 'वर्तमान सांख्यिकी' भाग का समयबद्ध प्रकाशन किया।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

X.69 भविष्य में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सीएमआईएस को पूरी तरह से परिचालनरत करना और मौजूदा डेटाबेस – उन्नत वैश्लेषिकी परिवेश को जीडीएएल और आंकड़ा विज्ञान प्रयोगशाला (डीएसएल) में उपयोग हेतु अंतरित करने का कार्य किया जाएगा तथा एसडीएमएक्स मानकों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके में तत्व-आधारित रिपॉजिटरी का कार्यान्वयन किया जाएगा जिससे मेटाडेटा संचालित आंकड़ा रखरखाव और प्रसार प्रणाली का परिचालन हो सकेगा (उत्कर्ष);
- पीसीआर के लिए एन्ड-टू-एन्ड प्रणाली विकसित करना और चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्री शुरू करना (उत्कर्ष);
- समष्टि-आर्थिक संकेतकों की मॉडलिंग, तात्कालिक पूर्वानुमान और पूर्वानुमान के क्षेत्रों में नीति संबंधी अनुसंधान करना जिसमें एआई, एमएल और बिग डेटा वैश्लेषिकी का उपयोग करते हुए बेव-क्रॉलिंग का उपयोग करना शामिल है (उत्कर्ष);
- आंकड़ा विज्ञान प्रयोगशाला (डीएसएल) का परिचालन प्रारंभ करना (उत्कर्ष);
- अत्याधुनिक एकल सर्च सुविधा वाला सीएफआर पोर्टल विकसित करना जिसमें एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियां शामिल हों जिससे कि क्रेडिट मंजूर करने का निर्णय लेते समय इनसे प्राप्त सूचना से मदद मिल सके; और
- उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) का उन सभी शहरी केंद्रों में विस्तार करना जहां पर वर्तमान में आईईएसएच कराया जा रहा है।

8. कार्यनीति अनुसंधान इकाई

X.70 फरवरी 2016 में कार्यनीति अनुसंधान इकाई (एसआरयू) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य उन समसामयिक मुद्दों पर अनुसंधान करना है जो रिज़र्व बैंक के विभिन्न वर्टिकलों के लिए प्रासंगिक हैं। इकाई की अनुसंधान कार्ययोजना में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.71 पिछले वर्ष, इकाई ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- आंकड़ा-उन्मुख नीतिगत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना (उत्कर्ष) [पैरा X.72];
- नीतिगत अनुसंधान संबंधी मुद्दों का हल तलाशना (पैरा X.72);
- समष्टि-आर्थिक गतिविधियों की निगरानी जारी रखना (पैरा X.73); और
- अनुसंधान निष्कर्ष प्रकाशित करना और अन्य विभागों के साथ संयुक्त अध्ययन करना (पैरा X.74)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.72 इकाई ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की सूक्ष्म निगरानी की और मौद्रिक नीति संबंधी कार्यनीति तैयार करने के लिए आयोजित होने वाली द्विमासिक बैठकों के लिए गहन अनुसंधानपरक सूचनाएं उपलब्ध करायीं। वर्ष के दौरान, इकाई की प्रमुख उपलब्धियों में भारत के लिए एक गतिशील कारक आधारित संकेतक शामिल हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपलब्ध उच्च-बारंबारता वाले आंकड़ों का उपयोग करते हुए समग्र जीडीपी का तात्कालिक पूर्वानुमान व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त, द्विमासिक प्रस्तुतियों में नियमित निगरानी (सर्वेलांस) और बाजार आसूचना को शामिल किया गया।

X.73 इकाई के मध्यावधि अनुसंधान में मौद्रिक नीति का संचरण, वित्तीय बाजार, भारत का संवृद्धि-परिदृश्य और वित्तीय भेद्यता से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण शामिल था। अनुसंधान के निष्कर्षों को नियमित रूप से शीर्ष प्रबंध-तंत्र तथा परिचालन-उन्मुख विभागों जैसे पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) और वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) को प्रस्तुत किया गया।

X.74 अन्य विभागों के साथ एसआरयू के सहयोग में शामिल है- 'ओवर द काउंटर (ओटीसी) मुद्रा व्युत्पन्नियों की कीमतों में

अंतर'; प्रतिफल वक्र पूर्वानुमान; ओआईएस की आश्चर्यजनक बातें; और दीर्घकालिक रिपो परिचालन (एलटीआरओ) तथा ऑपरेशन ट्विस्ट जैसी हाल में की गयी नीतिगत पहलों का प्रभाव। अपने दीर्घकालिक अनुसंधान एजेंडा के भाग के रूप में, एसआरयू नियमित रूप से अपने अनुसंधान निष्कर्षों को अकादमिक और नीतिनिर्माण समुदाय के बीच प्रसारित करती है।

वर्ष 2020-21 के लिए एजेंडा

X.75 वर्ष 2020-21 के दौरान आगे चलकर, इकाई निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी:

- समसामयिक महत्व के मुद्दे – मशीन लर्निंग टूल्स पर आधारित तात्कालिक आर्थिक दृष्टिकोण/भावना का पता लगाते रहना (उत्कर्ष);
- नीतिगत सुधारों के प्रभाव का गहन सूक्ष्म-विश्लेषण, उदाहरण के लिए भारत में हरित वित्त (उत्कर्ष); और
- रिज़र्व बैंक के अन्य परिचालनात्मक और अनुसंधान विभागों तथा बाहरी विद्वानों के साथ सहकार्यता बढ़ाना।

9. *विधिक मुद्दे*

X.76 विधि विभाग एक परामर्शदाता विभाग है, जिसकी स्थापना विधिक मामलों की जांच करने और परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गयी है। विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित परिपत्रों, विनियमों और करारनामों की जांच करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक दृष्टि से ठोस हों। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा संबंधित परिचालन विभागों की सहायता से केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), कैफरल तथा रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को भी विधिक मुद्दों, मुकदमों और अदालती मामलों में कानूनी सहायता और परामर्श देता है।

वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.77 विभाग ने पिछले वर्ष निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के विभिन्न अधिनियमों में संशोधनों की संभावना का पता लगाना (पैरा X.78 से X.80);
- रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों का प्रबंधन करना (पैरा X.81 से X.87 तक); और
- कानूनी मामलों पर रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों को परामर्श देते रहना (पैरा X.81 से X.87)।

निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.78 वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधान / विनियम लाए गए/ संशोधित किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के साथ-साथ वित्त अधिनियम (सं.2), 2019 में संशोधन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में किए गए संशोधनों में एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधि की प्रारंभिक सीमा में बढ़ोतरी शामिल है और रिज़र्व बैंक को (क) निदेशकों को हटाने और एनबीएफसी के निदेशक मंडल को सुपरसीड करने; (ख) एनबीएफसी के लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने; (ग) एनबीएफसी के समाधान हेतु स्कीम बनाने; और (घ) एनबीएफसी की समूह-कंपनियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने हेतु एनबीएफसी को निर्देश देने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार रिज़र्व बैंक को आवास वित्त कंपनियों के विनियमन का अधिकार प्रदान किया गया। उपर्युक्त संशोधन 9 अगस्त 2019 से लागू हैं।

X.79 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019, 28 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। बाद में, इस अध्यादेश का स्थान दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने ले लिया। इस अधिनियम में यह भी उल्लेख है कि संशोधित अधिनियम के अनुसार कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने हेतु रियल एस्टेट की परियोजनाओं के तहत आबंटियों जैसे वित्तीय लेनदारों के कतिपय वर्गों के लिए एक अतिरिक्त प्रारंभिक सीमा शुरू की गई है और समाधान व्यवसायियों को यह अधिकार है कि वे संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही वस्तुओं और सेवाओं को जारी रखें। यदि कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन पाया जाता है तो दिवाला समाधान प्रक्रिया से पूर्व किए गए अपराध के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 संसद में 12 दिसंबर 2019 को पेश किया गया। विस्तृत जाँच हेतु इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। यह विधेयक निम्नलिखित के संबंध है – (ए) किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का संरक्षण; (बी) व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने में डेटा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की भूमिका और जिम्मेदारी; (सी) इस प्रकार के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने संबंधी फ्रेमवर्क और (घ) निगरानी एवं प्रवर्तन के उद्देश्य से डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना।

X.80 भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जून 2020 को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 लागू किया गया था। इस अध्यादेश के जरिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी बैंकों पर यथा लागू) में संशोधन किया गया ताकि बैंककारी के हितों का संरक्षण किया जा सके और सहकारी बैंकों को मजबूत किया जा सके। सहकारी बैंकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व को प्रदत्त विनियमाकीय और पर्यवेक्षीय अधिकारों में इस अध्यादेश के जरिए काफी विस्तार किया गया है। साथ ही, इस अध्यादेश के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 में कतिपय मामूली संशोधन भी किए हैं।

X.81 सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक के मामले में 4 मार्च 2020 को अपने निर्णय में आनुपातिकता के आधार पर आभासी मुद्रा के लेनदेन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को खारिज कर दिया जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को आभासी मुद्राओं का लेनदेन न करने अथवा किसी व्यक्ति या संस्था को आभासी मुद्राओं के लेनदेन या निपटान संबंधी सेवाएं न प्रदान करने और यदि वे पहले से ही उन्हें ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ संबंध समाप्त करने के संबंध में जारी किए गए थे।

X.82 एक अन्य ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2020 के अपने निर्णय में कहा कि सरफेसी अधिनियम सहकारी बैंकों पर लागू है।

X.83 भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री और अन्य के मामले में कुछ बैंकों द्वारा दायर आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 2020 को अपने निर्णय के जरिए रिज़र्व बैंक को निर्देश दिया कि वह निरीक्षण रिपोर्ट / जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट / भारतीय स्टेट बैंक सहित कुछ बैंकों की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट अग्रिम आदेश तक निर्गत न करे।

X.84 पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के विरुद्ध रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर कुछ रिट याचिकाओं के मामलें में न्यायालय ने 5 दिसंबर 2019 को यह मानते हुए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि बैंकिंग कारोबार और इसका विनियमन रिज़र्व बैंक के विवेक पर छोड़ पर देना चाहिए।

X.85 केरल उच्च न्यायालय ने 29 नवंबर, 2019 के आदेश जरिए केरल बैंक के साथ केरल राज्य की तेरह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को समामेलित करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अनुमोदन पर दायर चुनौती को खारिज कर दिया।

X.86 सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सीकेपी) को जारी बैंकिंग लाइसेंस को निरस्त करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा 28 अप्रैल 2020 को जारी आदेश के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएँ दायर की गई जिनमें

रिज़र्व बैंक के आदेश को लागू करने के संबंध में मांगी गई अंतरिम राहत न्यायालय द्वारा मना कर दी गई।

X.87 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में तैंतीस रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं जो कि या तो 27 मार्च 2020, 17 अप्रैल 2020 और 23 मई 2020 के कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी रिज़र्व बैंक के परिपत्रों को चुनौती देने अथवा या फिर उनके अंतर्गत राहत मांगने से संबंधित थीं। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न अदालतों के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना

X.88 वर्ष 2020-21 में, विभाग निम्नलिखित पर जोर देना जारी रखेगा:

- इसकी कार्य-प्रक्रिया और कामकाज को स्वचालित बनाना, जिससे अनुसंधान, ई-खोज और डेटा विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा (उत्कर्ष);
- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के लिए सचिवालय के रूप में विभाग की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से करने हेतु अपने केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों को मार्गदर्शन नोट प्रदान करना (उत्कर्ष);
- रिज़र्व बैंक के परिचालन विभागों के साथ गहन समन्वय रखते हुए अपने कार्यों को सक्रियता से करना; तथा
- रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों का प्रबंधन करना।

10. निष्कर्ष

X.89 जनता का विश्वास हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहलों और उसके रुख को सभी लोग समझ सकें और इसीलिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान संचार के कई नवोन्मेषी माध्यमों को अपनाया। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों, बहुपक्षीय निकायों और अन्य केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से सार्क क्षेत्र में स्थित केंद्रीय बैंकों से अपने आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत बनाया। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संबंधी लेनदेन के संसाधन हेतु अन्य एजेन्सी बैंकों के साथ-साथ अनेक राज्य सरकारों रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन - ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन एवं मार्गदर्शन सुरक्षा, तरलता और प्रतिलाभ को ध्यान में रखते हुए किया गया। वर्ष के दौरान अनुसंधान गतिविधियां समसामयिक मुद्दों पर अध्ययन करके की गई। अन्य बातों के साथ-साथ सीआईएमएस को लागू करके, सीआईएसबीआई का विस्तार करके और बिग डेटा का उपयोग करके सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया गया। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ विधिक ढांचा सुनिश्चित करने हेतु वर्ष के दौरान कई वित्तीय कानून / विधेयक पेश / संशोधित किए गए।